

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल-462004

:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 10 जनवरी, 2020

कमांक एफ 19-14/2020/1/4 :: राज्य शासन एतद् द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 50 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीमों या योजनाओं के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन या उनको मॉनिटर करने के लिये निम्नानुसार राज्य स्तरीय मानिट्रिंग समिति का गठन करता है :-

- | | |
|---|--------------|
| 1 मुख्य सचिव | - अध्यक्ष |
| 2 प्रमुख सचिव, जल संसाधन | - सदस्य |
| 3 प्रमुख सचिव, नगरीय आवास एवं विकास | - सदस्य |
| 4 प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास | - सदस्य |
| 5 प्रमुख सचिव, लोक निर्माण | - सदस्य |
| 6 प्रमुख सचिव, राजस्व | - सदस्य सचिव |
| 7 संबंधित विभागीय परियोजना के प्रमुख सचिव | - सदस्य |
| 8 अध्यक्ष की अनुमति से अन्य आमंत्रित विशेषज्ञ | - सदस्य |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(विकास मिश्रा) 10.1.2020

उप सचिव

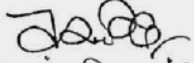
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ. क्रमांक एफ 19-14/2020/1/4

भोपाल, दिनांक 10 जनवरी, 2020

प्रतिलिपि :-

1. समिति के अध्यक्ष/सदस्य/सदस्य सचिव
 2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय भोपाल।
 3. प्रमुख सचिव, (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय भोपाल।
 4. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, राजस्व विभाग की ओर उनकी नस्ती सहित प्रस्तुत
 5. उप संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय भोपाल।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


उप सचिव 10.1.2020

मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

IndiaCode